



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2507]
No. 2507]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2012/पौष 7, 1934
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2012/PAUSA 7, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012

का.आ. 3023(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग - 2, खंड - 3, उपखंड - (ii) तारीख 30 जनवरी, 1993 में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का0आ0 205 को उन बातों के सिवाय, विखंडित करती है, जिन्हें जो ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है निरस्त करती है।

[फा. सं. 2/40/2012-निर्यात निरीक्षण]

ए. के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2012

S.O. 3023(E).—In exercise of the power conferred by section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in erstwhile Ministry of Commerce, number S.O.205, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) of dated the 30th January, 1993, except as respects things done or omitted to be done before such recession.

[F. No. 2/40/2012-Export Inspection]

A. K. TRIPATHY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012

का.आ. 3024(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कच्चा मांस (द्वुतशीतित/हिमशीतित) का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कच्चा मांस (द्वुतशीतित /हिमशीतित) का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कच्चा मांस (द्वुतशीतित/हिमशीतित) का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1992 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

5. क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए प्रक्रिया:- (1) कच्चा मांस (द्वुतशीतित/हिमशीतित) का निर्यात के लिए आशयित कोई निर्यातकर्ता -

(क) अपने स्थापन के अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकेगा जहाँ उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट खाद्य सुरक्षा प्रबंध प्रणाली पर आधारित निरीक्षण के अनुसार पशुओं के वध की प्रक्रिया और कच्चा मांस (द्वुतशीतित/हिमशीतित) पैक किया जाता है या जहाँ भावी कच्चा मांस (द्वुतशीतित/हिमशीतित) तैयार या प्रसंस्कृत किया जाता है, या

(ख) उपनियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट परेषणावार निरीक्षण का अनुसरण कर सकेगा।

(2) (क) कच्चा मांस (द्वुतशीतित/हिमशीतित) निर्यात करने के लिए उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन आने वाला इच्छुक निर्यातकर्ता निर्यात निरीक्षण अभिकरण निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित निकटतम कार्यालय को लिखित में कच्चा मांस (द्वुतशीतित/हिमशीतित) के भंडारण या

उसके रखरखाव या परिवहन या प्रसंस्करण या पैक करने की सुविधाओं सहित अपने स्थापन के अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा।

(ख) निर्यातकर्ता का यह प्राथमिक दायित्व होगा कि ऐसा स्थापन, जिसके लिए खंड (क) के अधीन आवेदन किया है, यह सुनिश्चित करें कि आयात के लिए आश्रित कच्चा मांस (द्वुतशीतित/हिमशीतित) का उत्पादन, भंडारण और परिवहन के सभी प्रक्रमों पर उत्तम पशु संबंधी पद्धतियों उत्तम विनिर्माण पद्धतियों और उत्तम स्वम्बनय संबंधी पद्धतियों के आधार पर उत्पादन, भंडारण और परिवहन किया गया है और निर्यात के लिए आश्रित खाद्य उत्पाद, अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों और यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर वाणिज्यन, वातावरण संबंधी या संरक्षण संबंधी अधीयुपाय की बाबत अधिरोपित निर्बंधों के अनुरूप है;

(ग) निर्यात निरीक्षण अभिकरण और परिषद द्वारा अधिकथित रीति में किए गए परीक्षण के आधार पर उसका यह समाधान हो जाने पर कि स्थापन किए जाने वाले क्रियाकलापों की प्रकृति की बाबत उन अपेक्षाओं को पूरा करता है, जो ऐसे स्थापन के अनुमोदन के अनुरूप है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करेगा:

परन्तु स्थापन का अनुमोदन अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और स्थापन अनुमोदन के लिए निर्धारण किया जाएगा। परन्तु यह और कि यदि स्थापन उन क्रियाकलापों जिसके लिए उसने अनुमोदन प्राप्त किया है से भिन्न की क्रियाकलाप करने का विनिश्चय करता है तो उसे नवीनीकरण के लिए निर्धारण किया जाएगा।

निर्यात निरीक्षण अभिकरण से उस प्रयोजन के लिए विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना होगा और ऐसे क्रियाकलापों में वाणिज्यन निर्यातकों के लिए अवसंरचना, सुविधाओं, प्रक्रियाओं, प्रसंस्करण और पैकिंग और अन्य संबंधित कार्यकलापों को सम्मिलित किया जाएगा।

परन्तु यह और कि निर्यात निरीक्षण अभिकरण के लिए ऐसा अधिकृत पशु चिकित्सक जो पशु स्वास्थ्य नियंत्रण और पशु रोग नियंत्रण जिसके अंतर्गत मृत्युपूर्व और मृत्यु पश्चात निरीक्षण भी है, के लिए आवश्यक और उत्तरदायी हो, विनिर्दिष्ट और पदाविहित करना विधिपूर्ण होगा और इसके अंतर्गत पशुओं के वध करने और निर्यात के लिए मांस का उत्पादन करने के लिए कृत्यों से सुसंगत कार्य प्रत्येक स्थापन में आवश्यक पशु चिकित्सक को दी संख्या भी है।

परन्तु यह भी कि, निर्यात निरीक्षण अभिकरण का समाधान नहीं होता है तो वह स्थापन को अनुमोदन प्रदान किए जाने से इंकार करेगा और स्थापन को ऐसी इंकार की सूचना उसके कारणों के साथ निर्धारण की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर करेगा।

(घ) निर्यात निरीक्षण अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इस उपनियम के अधीन अनुमोदित स्थापन द्वारा नियमित क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण द्वारा अपेक्षाओं का पालन किया जा रहा है और स्थापनों की मानीटर करने के लिए निर्यात निरीक्षण अभिकरण सभी समय

पर स्थापन के लिए सभी भागों में प्रवेश करने के लिए और स्वच्छता बनाए रखने तथा उत्पादन के सभी प्रक्रमों के दौरान खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण भंडारण और परिवहन में स्थापन द्वारा किए गए नियंत्रण संबंधी अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ङ) निर्यात निरीक्षण अभिकरण, यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, आवश्यक उपाय करेगी।

(च) परिषद समस्त अनुमोदित स्थापनों की सूची तैयार करेगी और उनमें प्रत्येक पर एक अधिकारिक संख्यांक होगा।

(छ) प्रसंस्करणकर्ता या निर्यातकर्ता के अनुरोध पर, निर्यात निरीक्षण अभिकरण स्वास्थ्य या पशु चिकित्सक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, जो निर्धारित प्राफार्मा या आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं के अनुसार प्रपत्र में यह संतुष्ट होने पर दिया जाएगा कि कच्चा मांस (दुतशीतित/हिमशीतित) का प्रसंस्करण निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा अनुमोदित वैध संख्यांक स्थापना में किया गया है और नियमों के अंतर्गत बनाए गए नियम 3 और 4 का अनुपालन और परिषद द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(ज) यदि, अनुमोदित प्रसंस्करणकर्ता प्रशीतित मांस उत्पादों को उत्पाद की ताजगी के लिए तत्काल निर्यात प्रमाणपत्र प्रशीतित मांस उत्पाद के परेषण के दिन जारी किया जा सकेगा और आदेश का0आ0 203 तारीख 15 जनवरी 1993 की अनुसूची II के खंड 5 के अधीन तथा अपेक्षित प्रयोगशालाओं के नमूनों के परीक्षण के परिणाम को भूतलक्षी आधार पर सत्यापित किया जाएगा और परेषण से नमूने (नमूनों) में विश्लेषण के गैर परिवर्तित परिणामों की दशा में समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

(3) (क) कच्चे मांस (दुतशीतित/ हिमशीतित)का निर्यात करने के लिए आशयित उपनियम (1) के खंड (ख) के अंतर्गत आने वाला कोई निर्यातकर्ता, अभिकरण के निकटतम कार्यालय में प्रत्येक परेषण का निरीक्षण करने के लिए निर्यात के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए लिखित में विहित प्रोफार्मा में, सूचना देगा और समान रूप से प्रसंस्कृत मांस के प्रत्येक परेषण के लिए अर्थात् दुतशीतित, हिमशीतित और वैक्यूम अदि में पैक किए गए मांस के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) खंड (क) के अधीन प्रत्येक सूचना,

- (i) उस आस्थान पर, जहाँ अभिकरण का कार्यालय स्थित है, स्थित स्थापन में किए जाने वाले निरीक्षण से कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी, और
- (ii) ऐसे स्थापन में, जो उस आस्थान पर स्थित नहीं हैं जहाँ अभिकरण का कार्यालय स्थित है, निरीक्षण के कम से कम पांच दिन पूर्व दी जाएगी।

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर, अभिकरण कच्चा मांस (द्रुतशीतित/हिमशीतित) के ऐसे परेषण का जो निर्यात के लिए बनाया गया है निरीक्षण और परीक्षण के लिए नमूना लेकर निरीक्षण करेगा।

(घ) अभिकरण ऐसी अधिकथित रीति में जो उसके लिए नियम 3 और 4 के अधीन उपबंधित है और परिषद द्वारा इस बाबत जारी अनुदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि कच्चे मांस (द्रुतशीतित/हिमशीतित) का परेषण उस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, यह घोषणा करते हुए कि परेषण मानव उपभोग के लिए उचित है निर्यात प्रमाणपत्र जारी करेगा और यदि निर्यातकर्ता द्वारा अनुरोध किया जाता है तो द्योतक देश द्वारा अपेक्षित विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी जारी करेगा।

परन्तु अभिकरण के लिए उपरोक्त उपबंधों की अपेक्षाओं का पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना और उसके अनुपालन को सुनिश्चित करना और उक्त अपेक्षा का अनुपालन न होने पर निर्यात के लिए आशयित किसी प्रकार के मांस की बाबत प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार करना और ऐसी इंकारी की, उसके कारणों सहित निरीक्षण की तारीख से पांच दिन की अवधि के भीतर संसूचित करना विधिपूर्ण होगा,

परन्तु यह और कि अभिकरण के लिए ऐसा अधिकृत पशु चिकित्सक जो पशु स्वास्थ्य नियंत्रण और पशु रोग नियंत्रण जिसके अंतर्गत मृत्युपूर्व और मृत्यु पश्चात निरीक्षण भी है, के लिए आवश्यक और उत्तरदायी हो, विनिर्दिष्ट और पदाविहित करना विधिपूर्ण होगा और इसके अंतर्गत पशुओं का वध करने और निर्यात के लिए मांस का उत्पादन करने के कृत्यों से सुसंगत कार्य करने के लिए प्रत्येक स्थापन में आवश्यक पशु चिकित्सकों की संख्या भी है।

(4) अभिकरण को कोई प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् भंडारण, परिवहन या पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी का पुनर्निर्धारण करने का अधिकार होगा। और किसी प्रक्रम पर परेषण को उस विस्तार तक जिसमें वह मानक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाया जाता है जारी किया गया प्रमाणपत्र वापिस ले लिया जाएगा।

(5) (क) जारी प्रमाणपत्र द्रुत शीतित मांसकी बाबत तीन दिनों की अवधि के लिए और हिमशीतित मांस की बाबत नब्बे दिनों की और वैक्यूम पैकड द्रुतशीतित मांस की 21 दिनों की अवधि परेषण के भेजे जाने की तारीख तक विधिमान्य होगा।

(ख) यदि विधिमान्य अवधि के भीतर परेषण नहीं भेजा जाता है तो निर्यातकर्ता को परेषण के पुनः विधिमान्यकरण प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और ऐसे मामलों में विधिमान्यता नियमों के अनुसार अनुपालन के अधीन पूर्व विधिमान्यता अवधि को एक तिहाई तक विस्तारित किया जाएगा।

(ग) केवल एक बार पुनः मूल्यांकन किया जाएगा।

3. मूल नियमों के नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्

6. निरीक्षण का स्थान- इन नियमों के प्रयोजन के लिए निर्यातकर्ता या प्रसंस्करणकर्ता का किसी परिसर का, जिसके अंतर्गत बधशाला या बूचडखाना भी है निरीक्षण किया जाएगा और आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रयोजन के लिए उसमें पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हैं।

4. मूल नियम के नियम 7 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

" 7. क. फीस - (1) स्थापन के अनुमोदन या अनुमोदन के नवीनीकरण या खाद्य सुरक्षा प्रबंध प्रणाली आधारित निरीक्षण की दशा में,-

- (i) नियम 5 के उपनियम (2) के खंड (क) के अधीन दिए गए आवेदन के साथ निर्यात निरीक्षण अभिकरण को पाँच हजार रुपए फीस का संदाय किया जाएगा, और
- (ii) कच्चा मांस (द्वुतशीतित/हिमशीतित) के प्रति 0.2 प्रतिशत की दर से एफ ओ बी मूल्य की दर से प्रत्येक परेषण न्यूनतम पाँच सौ रुपए के अधीन रहते हुए फलक मूल्य के 0.2 प्रतिशत की दर पर फीस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को संदत्त की जाएगी।

(2) स्वास्थ्य प्रमाणपत्र या पशुचिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र या आयातकर्ता देश या क्रेता द्वारा अपेक्षित किसी अन्य प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए या कसी प्रमाणपत्र को पुनः विधिमान्यकरण के लिए स्थापन या निर्यातकर्ता कच्चा मांस (द्वुतशीतित/हिमशीतित) के प्रति परेषण के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शुल्क का भुगतान निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा।

(3) आवेदक या अनुमोदित स्थापन या निर्यातकर्ता निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार अनुमोदन के निर्धारण या स्थापना के अनुमोदन के नवीनीकरण, सत्यापन दौरे, अतिरिक्त क्रियाकलापों के अनुमोदन, पुनः-प्रमाणन, विशेष अनुमति आदि के लिए निर्यात निरीक्षण अभिकरण को लागू फीस का संदाय करेगा।

(4) इन नियमों के अधीन प्रत्येक परेषण के लिये फीस की रकम को रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिये जहां ऐसी राशि में रुपए का भाग सम्मिलित है वहां यदि ऐसा भाग 50 पैसे या अधिक है तो इसमें एक रुपए की वृद्धि कर दी जाएगी और यदि ऐसा भाग 50 पैसे से कम है तो इसे छोड़ दिया जायगा।

[फा. सं. 2/40/2012-निर्यात निरीक्षण]

ए. के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 204, तारीख 30 जनवरी, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1989 तारीख 25 सितम्बर, 1993 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2012

S.O. 3024(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Raw Meat (Chilled/Frozen) (Quality Control and Inspection) Rules, 1992, namely:-

1. (1) These rules may be called the Export of Raw Meat (Chilled/Frozen) (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Export of Raw Meat (Chilled/Frozen) (Quality Control and Inspection) Rules, 1992 (herein after referred to as the principal rules), for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-
 - “5. **Procedure for Quality Control, Inspection and Certification.**- (1) An exporter intending to export Raw Meat (Chilled /Frozen) may,-
 - (a) apply for the approval of its establishment where the animals are slaughtered to process and pack Raw Meat (Chilled/Frozen) or where the intended Raw Meat (Chilled/Frozen) is prepared or processed as per Food Safety Management System based Inspection system specified under sub rule (2); or
 - (b) follow the consignment wise inspection specified under sub-rule (3).
 - (2) (a) The exporter covered under clause (a) of sub-rule (1), intending to export Raw Meat (Chilled/Frozen) shall apply in writing to the nearest office of the Export Inspection Agency (established under sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963) for approval of its establishment including their facility to store or handle or transportation or process or pack Raw Meat (Chilled/Frozen) for exports;

- (b) It shall be the primary responsibility of the exporter that the establishment for which the application under clause (a) has been made, ensures that the Raw Meat (Chilled/Frozen) intended for export is prepared, processed and preserved at all stages of production, storage and transport based on good veterinary practices, good manufacturing practices and good hygiene practices and the food products intended to export conforms to the standard specification recognised by the Central Government under section 6 of the Act, and any other restrictions imposed by the Central Government or, as the case may be, the State Government in respect to commercial, environmental or conservation measure, from time to time;
- (c) The Export Inspection Agency shall, on satisfying itself on the basis of assessment and such testing carried out in the manner laid down by the Council, that the establishment meets the requirements with the regard to nature of activities carried out, accord an approval to such establishment and issue the certificate of approval:

Provided that the approval shall be valid for a maximum period of two years and the establishment shall be assessed for consideration for renewal of approval on request:

Provided further that if the establishment decides to carry out activities other than those for which it has received approval, specific approval from the Export Inspection Agency shall be obtained for the purpose and such activities shall include, any changes in infrastructure, facilities, procedures, processing and packing for merchant exporters, or any other related activity:

Provided also that it shall be lawful for the Export Inspection Agency to specify and designate official veterinarian or approve the veterinarian of the establishment necessary and responsible for animal health control and animal disease control including ante mortem and postmortem inspections and this shall include the number of veterinarians necessary in each establishment for performing the relevant functions for slaughtering of animals and production of meat for export:

Provide also that if the Export Inspection Agency is not satisfied, it shall refuse to grant the approval to the establishment and communicate such refusal in writing within a period of ten days from the date of assessment to the establishment along with the reasons therefor;

- (d) The Export Inspection Agency shall ensure that the establishments approved under this sub-rule, continue to comply with the requirements by regular quality control, inspection and monitoring of the establishments for which the Export Inspection Agency shall at all times have free access to all parts of the establishments and records pertaining to the control exercised by the establishment for hygienic handling and processing of food products during all staged of production, storage and transport;
- (e) The Export Inspection Agency shall take necessary measures if his requirements cease to be met;
- (f) The Council shall maintain the list of all approved establishments, each of which shall have an official number;
- (g) On request from the processor or exporter, the Export Inspection Agency shall issue health or veterinary health certificate, in the specified proforma or in the format desired by importing country after satisfying itself that the Raw Meat (Chilled/Frozen) was processed in the approved processing establishment having valid approval number issued by the Export Inspection Agency and complies with the rules as provided for under the rule 3 and 4 and the instructions if any issued in this respect by the Council.
- (h) In case the approved processor would like to export the chilled meat products immediately to realize value on freshness of the product, the certificate may be issued on the day of dispatch of the chilled meat product and the test results of the laboratory sample as required under Clause 5 of the Schedule II of the order S.O. 203, dated the 15th January 1993, shall be verified on retrospective basis and appropriate follow-up actions shall be taken, in case of non-complaint results of analysis of the sample(s) from the consignment.
- (3) (a) An exporter covered under clause (b) of sub-rule (1) intending to export Raw Meat (Chilled/Frozen) shall submit an intimation in writing in prescribed proforma giving particulars of consignment intended to be exported to the nearest office of the Agency to carry out the consignment wise inspection and a separate application shall be submitted for each consignment of meat processed uniformly e.g. chilled, frozen, chilled and vacuum packed, etc.;

4810 G11/2-3

- (b) Every intimation under clause (a) shall be given -
- (i) not less than three days before the inspection is to be carried out at the establishment situated at the same station where the office of the agency is located; and
 - (ii) not less than five days before the inspection is to be carried out at the establishment which is not situated at the same station where the offices of the Agency is located;
- (c) On receipt of the intimation referred to clause (a), the Agency shall inspect the consignment of Raw Meat (Chilled/Frozen) meant for export by inspection and drawing samples for testing;
- (d) The Agency on satisfying itself on the basis of inspection carried out in the manner laid down as provided for under rule 3 and 4 and the instructions if any issued in this respect by the Council that the consignment of the Raw Meat (Chilled / Frozen) conforms to standard specification recognised for the purpose, shall issue the certificate for export declaring such consignment is fit for human consumption and exportworthy and shall also issue veterinary health certificate, if requested by the exporter, in the specified proforma desired by importing country:

Provided that it shall be lawful for the Agency to supervise, oversee and secure compliance of the requirement of the above provisions and refuse to issue certificate in respect of meat in any form intended for export not complying with the requirement and communicate such refusal in writing within a period of five days from the date of inspection along with the reason therefor;

Provided further that it shall be lawful for the Agency to specify and designate the official veterinarian necessary and responsible for animal health control and animal disease control including ante mortem and postmortem inspection and this shall include the number of veterinarians necessary in each establishment for performing the relevant to the functions for slaughtering of animals and production of meat for export.

- (4) The Agency shall have right to reassess the quality of the consignment in storage, transit or at the ports, after issuance of any type of certificate and in the extent of consignment being found not conforming to the standard specifications, at any stage, the certificate originally issued shall be withdrawn.

(5) (a) The certificate issued shall be valid for a period of three days in respect of chilled meat and ninety days for frozen meat and twenty one days for vacuum pack chilled meat from the date of passing of the consignment.

(b) If the consignment is not shipped within the period of validity, the exporter shall be permitted to present the consignment for revalidation and in such cases, the validity shall be extended for further period of one third of the earlier validity subject to the compliance as per the rules.

(c) The revalidation shall be done only one time.

3. For rule 6 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:-

“6. Place of Inspection.- Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at any premises of the exporter or processor including slaughterhouse or abattoir and the applicant shall ensure that adequate facilities for the purpose exist therein.”

4. After rule 7 of the principal rule, the following rule shall be inserted, namely:-

“7.A. Fee.- (1) In the case of approval or renewal of approval of establishment or Food Safety Management System based Inspection,-

(i) a fee of five thousand shall be paid to the Export Inspection Agency along with the application made under clause (a) of sub-rule (2) of rule 5; and

(ii) a fee at the rate of 0.2 percent of the freight on board values shall be paid subject to a minimum of five hundred rupees per consignment of the Raw Meat (Chilled /Frozen) to the Export Inspection Agency.

- (2) For the issuance of the Health Certificate or Veterinary health certificate or any other certificate required by importing country or buyer or for revalidation of any certificate, the establishment or exporter shall pay applicable fee per consignment of the Raw Meat (Chilled /Frozen) to the Export Inspection Agency, as per the instructions issued by Export Inspection Council from time to time.
- (3) The applicant or approved establishment or exporter shall pay applicable fee to Export Inspection Agency, for carrying out assessment for approval or renewal of approval of establishment, verification visits, approval of additional activities, re-certification, special permissions, etc. as per the instructions issued by Export Inspection Council from time to time.”
- (4) The amount of fee for each consignment under these rules shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and, if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

[F. No. 2/40/2012-Export Inspection]

A. K. TRIPATHY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 204, dated the 30th January, 1993, and subsequently amended *vide* notification number S.O. 1989, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 25th September, 1993.